राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः प.8(ड)( )का.भा./डीएलबी/21/ 4062 जयपुर,दिनांकः 29/09/2021

आदेश

श्रीमती डॉ. सौम्या गुर्जर महापौर, नगर निगम ग्रेटर–जयपुर को विभागीय आदेश क्रमांक एफ. 2(च)(322)जॉच/डीएलबी/2021/1413 दिनांक 06.06.2021 के द्वारा महापौर एवं सदस्य के पद से निलम्बित किया गया था। विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 2447 दिनांक 07.06.2021 के द्वारा श्रीमती शील धाबाई अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) सदस्या वार्ड संख्या 60 नगर निगम ग्रेटर–जयपुर को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1) के प्रावधान के दृष्टिगत महापौर के पद का कार्यभार सौपा गया था। आदेश दिनांक 07.06.2021 की निरन्तरता में विभागीय आदेश क्रमांक 3598 दिनांक 29.07.2021 के द्वारा आगामी 60 दिवस अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश जो भी पूर्व हो तक के लिए महापौर के पद की कार्यभार अवधि बढ़ाई गई थी।

नगर निगम ग्रेटर–जयपुर में महापौर का पद अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) के लिए आरक्षित है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1) के प्रावधानो के दृष्टिगत अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला को ही महापौर का कार्यभार सौपा जाना विधि सम्मत है।

अतः पूर्व आदेशो की निरन्तरता में श्रीमती शील धाबाई अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला), सदस्या वार्ड संख्या 60 नगर निगम ग्रेटर–जयपुर की वरिष्ठता, अनुभव व नगर निगम ग्रेटर–जयपुर में राजनैतिक दल के बहुमत को मद्धेनजर रखते हुए "श्रीमती शील धाबाई अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला), सदस्या वार्ड संख्या 60 नगर निगम ग्रेटर–जयपुर को महापौर के पद का कार्यभार की अवधि दिनांक 05.10.2021 को पूर्ण हो जावेगी। अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1) के प्रावधानो के अध्यधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त कार्यभार अवधि पूर्व आदेश क्रमांक 3598 दिनांक 29.07.2021 के क्रम में आगामी 60 दिवस अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश जो भी पूर्व हो तक के लिए कार्यभार अवधि बढ़ाई जाती है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांकः प.8(ड)( )का.भा./डीएलबी/21/ 4063-4076 जयपुर,दिनांकः 29/09/2021।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय, राज. जयपुर।
6. जिला कलक्टर, जयपुर।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
8. महापौर, नगर निगम ग्रेटर–जयपुर।
9. आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर–जयपुर।
10. जनसंपर्क अधिकारी, निदेशालय को प्रकाशन करवाने हेतु।
11. प्रभारी मोनिटरिंग सेल को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. श्रीमती शील धाबाई, सदस्या वार्ड संख्या 60 नगर निगम ग्रेटर–जयपुर।
13. अधीक्षक, केंद्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है।
14. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

Scanned with CamScanner